तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / एल.आर / 5605 / 2023 / जोधपुर जसलाल बनाम मदनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
26-10-2023		

एकल–पीठ

डॉ. राकेश कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित :

श्री सुनील कडवासरा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

हस्तगत् निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–84 सपठित धारा धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–6–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 19–5–2023 को पारित किया जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने एक अपील विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। परीक्षण न्यायालय में पक्षकार होते हुए भी विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर अपील में धारा 96 सीपीसी बतौर तृतिय पक्षकार संयोजित करने का पेश किये बिना ही जिसमें प्रार्थी को बिना सुने व बिना आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना स्थगन आदेश फरमा दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक को निगरानी के एडमिशन व स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने अपील में धारा 96 सीपीसी बतौर तृतीय पक्षकार संयोजित करने का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को लगाना मेडेन्टरी था तथा पहल धारा 96 सीपीसी पर विपक्षी को सुनकर कोई आदेश पारित किया जा सकता था जब अप्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं था तो उसमें सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही जो आदेश पारित किया है वह कानूनी रूप से विधि विरूद्ध है। अपीलीय न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित करने का कोई भी ठोस कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है जो कि एक नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एल.आर / 5605 / 2023 / जोधपुर</u>** **<u>जसलाल बनाम मदनसिंह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों का पालना किये बगैर आदेश 39 नियम 3 क की पालना किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया। उक्त प्रकरण को 30 दिन में निस्तारण करना चाहिए था लेकिन आज दिनांक तक केवल तारिख पेशी ही दी जा रही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर का आदेश दिनांक 05–6–2023 को निरस्त फरमाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 19–5–2023 को पारित किया जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने एक अपील विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। परीक्षण न्यायालय में पक्षकार होते हुए भी विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर अपील में धारा 96 सीपीसी बतौर तृतिय पक्षकार संयोजित करने का पेश किये बिना ही जिसमें प्रार्थी को बिना सुने व बिना आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना स्थगन आदेश दिनांक 05–6–2023 फरमा दिया। चूंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 05–6–2023 जो कि अन्तरिम आदेश है जो केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। परन्तु प्रकरण में अपीलीय न्यायालय ने स्थगन पारित करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय से अपेक्षित था कि अपील में किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के बिन्दू का निस्तारण करते, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। क्योंकि अप्रार्थीगण परीक्षण न्यायालय में मूल वाद में पक्षकार नहीं थे। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध होने से ग्राहयता के स्तर पर ही निरस्त योग्य है। अतः निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही निर्णित की जाकर न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05–6–2023 निरस्त किया जाता है। न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश में किये गये विवेचन अनुसार सर्वप्रथम धारा 96 सीपसी के प्रार्थना पत्र का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एल.आर/5605/2023/जोधपुर</u>** **<u>जसलाल बनाम मदनसिंह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	निस्तारण करें। उक्त वर्णित कानूनी प्रावधानों के अधीन उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें तत्पश्चात ही स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील का निस्तारण करें। अभिभाषक प्रार्थी हस्तगत् आदेश की सूचना समस्त विपक्षीगण/अप्रार्थीगण को अपने स्तर पर जानकारी देते हुये अपीलीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष दिनांक <u>20–11–2023</u> को अपील में वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं आवश्यक रूपसे उपस्थित हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)** **सदस्य**	